न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:–61/2014 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नारायणसिंह पिता विजयसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी चावण्डेरी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. प्रभुसिंह पिता विजयसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी चावण्डेरी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. लादुसिंह पिता विजयसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी चावण्डेरी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नन्दकंवर बेवा पिता विजयसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी चावण्डेरी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. प्यारा पिता बालु जाति हरिजन आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
3. उप–पंजीयक महोदय, भीलवाड़ा (राज०)

– विपक्षीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 रा०टि० एक्ट
बाबत् घौषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि० एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री मांगी लाल सेन

निर्णय दिनांक 21/8/25

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन द्वारा दिनांक 12.11.2014 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 61/2014 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी हेतु नोटिस ज़ारी किये गये। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि काफी ठोस तथ्यो पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्रीं होगा।

प्रार्थीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है :–

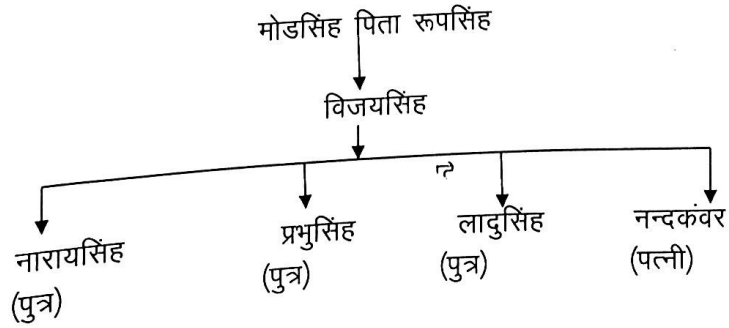

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 के मध्य विवादग्रस्त कृषि आराजियात 3020/360 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चावण्डेरी प0 ह0 भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है इससे पूर्व राजस्व ग्राम भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा में स्थित थी।

वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 3020/360 के मूल आराजी नम्बर 360 थे जिसके साबिक आराजी नम्बर 979/1 थे जो कि मोडसिंह पिता रूपसिंह के नाम पर दर्ज थी जिसका सेटलमेंन्ट होने के बाद नये आराजी नम्बर 360 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कायम किया गया लेकिन सेटलमेंन्ट के दौरान मूल आराजी नम्बर 360 के बट्टा नम्बर 3020/360 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा कायम कर बिलानाम अंकित कर दी व आराजी नम्बर 360 रकबा 02 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज्ञ मोडसिंह पिता रूपसिंह के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि आराजी नम्बर 3020/360 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम पर अंकित करने के बजाय बिना किसी आधार के बिलानाम अंकित कर दी जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा कास्त चला आ रहा है उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 01 ने पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर उक्त भूमि पर कब्जा नही होते हुऐ भी गलत तथ्यो को आधार बनाकर, उक्त भूमि का आवंटन करवा अपने नाम पर दर्ज करवा ली, जबकि विपक्षी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कब्जा न तो पूर्व में था, न ही वर्तमान है बल्कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो की है जिस पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजो के समय से ही वर्षो से कब्जा कास्त चला आ रहा है लेकिन सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के बिलानाम अंकित कर दी। जिसे विपक्षी संख्या 01 ने अपने नाम पर गलत रूप से आवंटन कराया जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि से विपक्षी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटवा प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवावें तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

ग्राम भोपालगढ़ के साबिक आराजी नम्बर 979/1 वादीगण के पूर्वज मोडसिंह पिता रूपसिंह के नाम पर दर्ज थी जिसका सेटलमेंन्ट होने बाद नये आराजी नम्बर 360 कायम किये गये लेकिन वक्त सेटलमेंन्ट के दौरान मूल आराजी नम्बर 360 के बटटा आराजी 3020/360 रकबा 05 बीघा 13 कायम कर आराजी नम्बर 360 से जाना बताकर बिलानाम अंकित कर दी व मूल आराजी नम्बर 360 रकबा 02 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम पर अंकित कर दी जो कि खसरा मिलान से स्पष्ट साबित है, उसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 01 ने उक्त विवादग्रस्त भूमि का आवंटन अपने नाम पर करवा राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करवा ली और उसके आधार पर प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने की धमकी दी तब प्रार्थीगण ने पूराना राजस्व रेकॉर्ड निकलवा कर विपक्षी संख्या 01 को हाल ही में दिनांक 30/09/2014 को उक्त विवादग्रस्त भूमि को पुनः नाम पर दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण इन्कार हो गये व प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियो को अन्तरित करने की धमकी दी जिससे विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है, अतः प्रार्थीगण की और से विपक्षीगण के विरुद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा का दाद का अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 30/09/2014 को प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियो को अन्तरित करने की धमकी देने की दिनांक 30/09/2014 से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो की है जिस पर अपने पूर्वजो के समय से ही उपयोग उपभोग व कास्त करते आ रहे है लेकिन सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि को बिलानाम अंकित कर दी जिसे विपक्षी संख्या 01 ने गलत रूप से अपने नाम पर आवंटन करवा ली और उसके आधार पर प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तिया को अन्तरण करने पर आमादा है, यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर अन्य व्यक्तिया को अन्तरित कर दिया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही उठानी पड़ेगी, अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

21/8/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3020/360 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि के उपयोग–उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य से करावें, मौके से बेदखल नही करें, उक्त भूमि को रहन–बय–बक्षीस के माध्यम से अन्तरित नही करें, विपक्षी संख्या 03 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें, विपक्षी संख्या 02 दो राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें, मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें

प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2014 को जारी की जाकर विपक्षीगण के सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 के सम्मन बाद तामील भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से दिनांक 11.02.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के बाद तामील उपस्थित नहीं होने से दिनांक 19.12.2024 को जवाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला

2. सुविधा का संतुलन

3. अपूरणीय क्षति

उपरोक्त तीनों बिन्दंओं का पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजी नम्बर 3020/360 के मूल आराजी नम्बर 360 थे जिसके साबिक आराजी नम्बर 979/1 थे जो कि मोडसिंह पिता रूपसिंह के नाम पर दर्ज थी जिसका सेटलमेंन्ट होने के बाद नये आराजी नम्बर 360 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कायम किया गया लेकिन सेटलमेंन्ट के दौरान मूल आराजी नम्बर 360 के बट्टा नम्बर 3020/360 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा कायम कर बिलानाम अंकित कर दी व आराजी नम्बर 360 रकबा 02 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज मोडसिंह पिता रूपसिंह के नाम पर दर्ज कर दी गई, जबकि आराजी नम्बर 3020/360 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम पर अंकित करने के बजाय बिना किसी आधार के बिलानाम अंकित कर दी जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा कास्त चला आ रहा है। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 01 ने पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर उक्त भूमि पर कब्जा नही होते हुऐ भी गलत तथ्यो को आधार बनाकर, उक्त भूमि का आवंटन करवा अपने नाम पर दर्ज करवा ली, जबकि विपक्षी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कब्जा न तो पूर्व में था, न ही वर्तमान में है बल्कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजो की है जिस पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजो के समय से ही वर्षों से कब्जा कास्त चला आ रहा है लेकिन सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के बिलानाम अंकित कर दी। जिसे विपक्षी संख्या 01 ने अपने नाम पर गलत रूप से आवंटन कराया जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है। यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को मौके से बेदंखल कर अन्य व्यक्तिया को अन्तरित कर दिया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही उठानी पड़ेगी, अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

21/8/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहा है। अतः मौके पर नवीन वाद विवाद को उत्पन्न होने से रोकने हेतु प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विपक्षीगण के विरूद्ध जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2014 को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 01 को मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

21/8/25

(अरूण कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा